



2026:AHC:128639

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 11352 वर्ष 2026

मनीष कुमार गौतम उर्फ मोनू

....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपक्षी (गण)

प्रार्थी/आवेदक के अधिवक्ता : लवकुश दीक्षित

विपक्षी/प्रत्यार्थी के अधिवक्ता : अभिषेक कुमार जायसवाल, शासकीय अधिवक्ता

संबद्ध

अन्य वाद

न्यायालय संख्या- 71

माननीय विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति

1. दोनों जमानत प्रार्थना पत्रों में आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता सुश्री तान्या मक्कर एवं श्री लवकुश दीक्षित, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार जायसवाल तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. दोनों जमानत प्रार्थना पत्र, थाना जेवर, जिला गौतम बुद्ध नगर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 380 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 103(1), 115(2), 352 भारतीय न्याय संहिता में आवेदकों/प्रार्थियों को जमानत पर रिहा करने के लिए दाखिल किए गए हैं।

3. आवेदकों/प्रार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि कथित घटना 15.11.2025 को सुबह 11:30 बजे हुई थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन 15:34 बजे दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के विवरण के अनुसार, आवेदकों ने मृतक को बांस के डंडों से चोट पहुंचाई थी। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकों ने मृतक की हत्या नहीं की है तथा उन्हें केवल घटना स्थल से भागते हुए देखा गया था; आवेदकों के कब्जे अथवा अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निशानदेही से कोई भी संदेहास्पद/अपराध-सूचक वस्तु बरामद नहीं हुई है; प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं होती है। मृतक की मृत्यु का कारण गले का घोंटना होने से हुआ असफिक्सिया है और उसका विसरा सुरक्षित रखा गया था। रिकॉर्ड पर कोई विसरा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। मृतक की चोट संख्या 1 मृतक की ठोड़ी और गर्दन के दाहिने हिस्से पर एक लिंगेचर मार्क थी; किसी भी साक्षी ने यह दावा नहीं किया है कि आवेदकों द्वारा मृतक का गला घोंटा गया था। आगे यह भी तर्क दिया गया कि यह मामला परिस्थितियों पर आधारित साक्ष्य पर आधारित है और परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण नहीं है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकों को इस मामले में इसलिए झूठा फंसाया गया है क्योंकि घटना से पूर्व, वर्तमान प्रथम सूचनाकर्ता और उसके पिता के विरुद्ध थाना जेवर, जिला गौतम बुद्ध नगर में 17.07.2025 को मुकदमा अपराध संख्या 232 वर्ष 2025 दर्ज कराया गया था, जिसमें आवेदक मोहन लाल गुप्ता एक चश्मदीद गवाह था। उसी रंजिश के कारण, आवेदकों पर दबाव बनाने और व्यक्तिगत बदला चुकाने के उद्देश्य से उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। आवेदक मनीष कुमार गौतम का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और आवेदक मोहन लाल गुप्ता के आपराधिक इतिहास का आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 10442 वर्ष 2026 के पैरा संख्या 18 में भली-भांति स्पष्टीकरण दिया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदक मनीष कुमार गौतम 12.02.2026 से जेल में निरुद्ध है और आवेदक मोहन लाल गुप्ता 11.02.2026 से जेल में निरुद्ध है, तथा यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और विचारण में सहयोग करेंगे।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार जायसवाल ने आवेदकों को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि अपराध में आवेदकों की संलिप्तता के संबंध में उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसलिए वे जमानत पर रिहा होने के हकदार नहीं हैं। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकों ने मृतक की हत्या की है और उन्हें घटना स्थल से भागते हुए देखा गया था। आगे यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकों ने पुरानी रंजिश के कारण मृतक की हत्या की। अंत में, यह तर्क दिया गया कि आवेदक मनीष कुमार गौतम के आपराधिक इतिहास का उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर प्रस्तुत साक्ष्यों, आवेदकों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि पर विचार करने के उपरांत तथा मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, इस न्यायालय का यह विचार है कि आवेदकों ने जमानत का पर्याप्त आधार बना लिया है।

6. तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदकगण- **मनीष कुमार गौतम उर्फ मोनू** तथा **मोहन लाल गुप्ता**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में निरुद्ध हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंध पत्र तथा उतनी ही धनराशि के दो-दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन करा लिया जाए:

- (i) आवेदकगण इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेंगे कि जब न्यायालय में साक्षी उपस्थित हों, तो वे साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेंगे। इस शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह छूट होगी कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और नियमानुसार आदेश पारित करे।
- (ii) आवेदकगण प्रत्येक नियत तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे। पर्याप्त कारण के बिना उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के तहत कार्यवाही कर सकता है।
- (iii) यदि आवेदकगण विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदकगण ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो विचारण न्यायालय उनके विरुद्ध कानून के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (iv) आवेदकगण (1) मामला शुरू किए जाने, (2) आरोप विरचित किए जाने, तथा (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के तहत बयान दर्ज किए जाने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदकों की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की छूट होगी।

8. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियां किसी भी रूप में विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

22 जून, 2026

नितेन्द्र